चाकू रखने के दोषी पर जुर्माना

श्रावस्ती। इकौना पुलिस ने 21 वर्ष पूर्व क्षेत्र के ग्राम सलवरिया निवासी सलीम खान पुत्र मुमताज खान को चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह बाद में जमानत पर छूटा था। इस मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम ने दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि की कैद व 200 रुपये जुर्माने से दंडित किया। (संवाद)

आचार संहिता उल्लंघन के दोषी पर जुर्माना

श्रावस्ती। गिलौला पुलिस ने आठ वर्ष पूर्व वाहन के ऊपर झंडा लहराकर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मोहम्मदपुर निवासी लल्लन प्रसाद मिश्रा पुत्र शीतल प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह बाद में जमानत पर छूटा था। मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम ने दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि की कैद व 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। (संवाद)